



Neutral Citation No - 2026:AHC:27679-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2025 की 29802

अरविन्द शर्मा एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विजय कुमार तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 29.11.2025, जिससे वाद अपराध संख्या 845/2025 तहत धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सुभाष नगर, जिला बरेली उद्भूत हुआ है, को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्तागण पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें परोक्ष हेतु से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया है। उन्होंने

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आगे यह निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथनों से याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अभिकथित अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपास्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त तथ्यों का प्रबलता से विरोध किया है तथा यह निवेदन किया है कि विवाह के एक माह के भीतर ही मृतका की मृत्यु कारित की गई है और शव-परीक्षण आख्या के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर संचोट विद्यमान है तथा पसलियाँ भग्न पाई गई हैं। उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथनों तथा मृतका की शव-परीक्षण आख्या के दृष्टिगत याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्टतः प्रकट होता है, अतः माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी, (2017) 2 SCC 779; नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) SCC Online SC 315** तथा माननीय शीर्ष न्यायालय के एक हालिया निर्णय, **दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य** में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपास्त नहीं की जा सकती।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथनों एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सुसंगत विधि को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि विवाह के एक माह के भीतर ही मृतका की मृत्यु कारित की गई है और शव-परीक्षण आख्या के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर संचोट है तथा पसलियाँ भग्न पाई गई हैं, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करने हेतु प्रवृत्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथनों तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के निवेदनों एवं उनके द्वारा उद्धृत विधि के दृष्टिगत याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध स्पष्टतः प्रकट होता है, अतः हमारा मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अपास्त नहीं की जा सकती, इसलिए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपास्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. तथापि, यदि याचिकाकर्तागण सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर विधि अनुसार यथासंभव शीघ्र विचार कर उसे निस्तारित किया जाएगा।

7. उपर्युक्त प्रेक्षणों के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

ज़फर

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"